डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 190] रायपुर, सोमवार, दिनांक 3 सितम्बर 2001—भाद्र 12, शक 1923

राजस्व विभाग

(मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग)

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2001

अधिसूचना

क्रमांक जी.बी./2/मुद्रण/(37)/छ.मे नियं.अनु./2001-2002/732.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्र. 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम नियमों का अनुकूलन आदेश, 2000 है.
   (2) यह नवंबर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर प्रवृत्त होगा.

2. समय-समय पर यथा संशोधित ऐसे नियम, जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद्द्वारा तब तक छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तारित की जाती है तथा प्रवृत्त रहेंगी जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाए, उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त नियमों/संहिता में शब्द ''मध्यप्रदेश '' जहां कहीं भी वह आया हो, के स्थान पर शब्द ''छत्तीसगढ़'' स्थापित किया जाए.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों या उसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्रवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्ररूप, विनियम, प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	नियमों के नाम (2)
1.	म. प्र. पुनरीक्षित फार्म नियम, 1961.
2.	म. प्र. मुद्रण और जिल्दसाजी नियम, 1957.
3.	म. प्र. पुनरीक्षित पंजीयन नियम, 1984.
4.	म. प्र. गैर-सरकारी मुद्रणालयों में मुद्रण संबंधी नियम, 1957.
5.	म. प्र. मुद्रण तथा लेखन सामग्री (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1969.
6.	म. प्र. मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग (तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय) सेवा भरती नियम, 1993.
7.	म. प्र. मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग (चतुर्थ श्रेणी लिपिक वर्गीय) सेवा भरती नियम, 1987 (राजपत्र भाग-4 (ग) 14-8-1987).
8.	म. प्र. मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग (तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय) सेवा भरती नियम, 1965.
9.	म. प्र. मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग (चतुर्थ श्रेणी अलिपिक वर्गीय) सेवा भरती नियम, 1995.
10.	म. प्र. प्रकाशनों के विक्रय हेतु एजेन्सी निर्धारण संबंधी नियम यथा संशोधित, 1969.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. असवाल, सचिव.

Raipur, the 3rd September 2001

NOTIFICATION

No. जी.बी./2/मुद्रण/(37)/छ.मे नियं.अनु./2001-2002/732..—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000). the State Government hereby makes the following orders, namely :—

ORDER

1. (i) This order may be called the adaptation of rules/code order, 2000 (No. 28 of 2000).
   (ii) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. The rules as amended from time to time, specified in the schedule to this order, which were in force in the State of Madhya Pradesh immediatly before the formation of the State of Chhattisgarh, are hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattisgarh until repealed are amended. Subject to the modifications that in all the rules for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, form, regulation, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the rules specified in the Schedule shall continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the Rules (2)
1.	M. P. Revised Form Rules, 1961.
2.	M. P. Printing and Binding Rules, 1957.
3.	M. P. Revised Registration Rules, 1984.
4.	M. P. Rules Regarding Printing at Private Presses 1957.

(1)	(2)
5.	M. P. Printing and Stationery (Gazetted) Service Rules, 1969.
6.	M. P. Printing and Stationery Department Subordinate (Class III Ministrial) Service Recruitment Rules, 1993.
7.	M. P. Government Printing and Stationery (Class IV) Service Recruitment Rules, 1987.
8.	M. P. Printing and Stationery (Non Ministrial) Service Recruitment Rules 1965.
9.	M. P. Printing and Stationery Class IV Services (Non Ministrial) Recruitment Rules, 1995.
10.	Government of Madhya Pradesh Printing and Stationery Department Rules Regarding Agency for the sell of Madhya Pradesh Government Publication 1960.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

N. K. ASWAL, Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.